न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

संख्या : 4/2013

राधाकिशन पुत्र पृथ्वीलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. लटूरलाल पुत्र
2. पार्वती पुत्री
3. छोटी बाई पुत्री

} बिशना जाति माली निवासी मालियों के मन्दिर के पास सीसवाली तह0 मांगरोल

4. गिर्राज पुत्र लटूर जाति माली निवासी सीसवाली
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र काशीलाल जाति जाट नि0 वार्ड नं0 39 बारां तहसील बारां
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड
वकील प्रतिवादीगण : श्री के0 के0 सोनी, श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 23.01.2013 निर्णय दिनांक : 09.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सीसवाली में आराजियात खसरा नं0 3087 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3088 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 3089 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3229 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 3230 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3235 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3240 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 3241 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3242 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 3243 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3285 रकबा 0.31 है0 एवं खसरा नं0 3286 रकबा 0.22 है0 तथा खसरा नं0 5034 रकबा 1.13 है0 कुल किता 13 रकबा 3.03 है0 भूमियां स्थित है। उक्त आराजियात पैतृक है जिनके पूर्व खातेदार लक्ष्मण, पृथ्वीलाल व बिशनलाल रहे है। लक्ष्मण लाल व उसकी पत्नि देवबाई लाऔलाद फौत हुए है, पृथ्वीलाल का वारिस वादी है। खाते में दर्ज पुष्पाबाई बेवा पृथ्वीलाल का देहान्त हो चुका है। बिशनलाल के वारिस प्रतिवादी लटूर, पार्वती व छोटीबाई हैं इस प्रकार उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 ता 3 का हिस्सा 1/2 है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सुस्थापित स्थिति है। प्रतिवादी कम 6 के प्रतिनिधियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार के खाता राजस्व रेकार्ड में गिर्राज नाबालिग पुत्र लटूरलाल का नाम दर्ज कर दिया है जबकि गिर्राज लटूरलाल का पुत्र है और उसका हक लटूरलाल की अराजियात में ही है। खाते में अवैधानिक तौर पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरित प्रतिवादी कम 6 के प्रतिनिधियों ने सेटलमेंट के दौरान अथवा अन्य प्रकार से खाते में गिर्राज पुत्र

न दर्ज कर दिये जाने से आराजियात का हिस्सा 1/3 बिना किसी बंटवारे के व बिना अपना न्यायालय से तय कराए वादी को नुकसान पहुचांने की दृष्टि से छलपूर्वक 1/3 हिस्से का बैनामी प्रतिवादी कम 5 को कर दिया है। प्रतिवादी कम 5 अजनबी केता है। विकय पत्र जो गिर्राज ने वैधानिक रूप से प्रतिवादी कम 5 के पक्ष में दिनांक 25.06.2012 को कराया है उसका कोई कानूनी मूल्य नही है। जब आराजियात में गिर्राज का कोई हक या अधिकार ही नही है तब उसके द्वारा किये गये विकय/बेचान का कोई मूल्य नही है। तथा उससे प्रवितादी कम 5 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सीसवाली में वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 को अपने पूर्वजो से जो आराजियात जमाबंदी 2061–64 खाता संख्या 754 है से प्राप्त आराजियात से गिर्राज पुत्र लटूरलाल का कोई हक न होने तथा हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार उसका कोई हक न होने से खारिज किया जावे। पुष्पाबाई का नाम भी उसकी मृत्यु हो जाने से निरस्त किया जावें। आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा स्व0 बिशनाजी के वारिसान लटूर, पार्वती, छोटीबाई का 1/2 हि0 माना जाकर इसी प्रकार आराजियात का बंटवारा किया जावें। गिर्राज द्वारा बिना किसी अधिकार के जो विकय पत्र 25.06.2012 को तहरीर व पंजीकृत कराया है उसे शून्य घोषित किया जावे तथा खाते में प्रतिवादी कम 5 का नाम दर्ज नही किया जावें। वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेशात्मक एवं निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वे वादी को आराजी का 1/2 हिस्सा काश्त व उपयोग करने में कोई बाधा न स्वयं डाले न डलावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.01.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 ता 3 हो जर्ये अखबार स्याहा सूचित किया गया जिसकी प्रति शामिल फाईल है। बावजूद अखबार स्याहा के प्रतिवादी कम 1 ता 3 दिनांक 28.07.2014 तक अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी कम 1 ता 3 के विरूद्ध दिनांक 28.07.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 4 श्री गिर्राज पुत्र लटूर की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन व प्रतिवादी कम 5 चन्द्रप्रकाश पुत्र काशीलाल की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 सोनी ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 4 श्री गिर्राज पुत्र लटूर के अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन व प्रतिवादी कम 5 चन्द्रप्रकाश पुत्र काशीलाल के अधिवक्ता श्री के0 के0 सोनी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी कम 4 के अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन ने दिनांक 06.08.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर नोट प्रेस किया। अतः साक्ष्य वादी बन्द किया गया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी के अधिवक्ता श्री दया कृष्णा धाकड की दिनांक 08.08.2018 को बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में

का कथन किया जिनका उन्होने अपने वाद पत्र में अंकन किया है। चूकि ग्राम सीसवाली जियात खसरा नं0 3087 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3088 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 3089 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3229 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 3230 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3235 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3240 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 3241 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3242 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 3243 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3285 रकबा 0.31 है0 एवं खसरा नं0 3286 रकबा 0.22 है0 तथा खसरा नं0 5034 रकबा 1.13 है0 कुल किता 13 रकबा 3.03 है0 की राजस्व जमाबंदी में प्रतिवादी कम 4 गिर्राज नाबालिग पुत्र लटूरलाल का नाम दर्ज कर दिया है जबकि गिर्राज वर्तमान में 30 वर्ष का है व लटूरलाल का पुत्र है और उसका हक लटूरलाल की अराजियात में ही है। जबकि राजस्व कार्मिको की सहवन से प्रतिवादी कम 4 गिर्राज पुत्र लटूरलाल का नाम उक्त आराजी में दर्ज कर दिया है व उक्त आराजी की राजस्व जमाबंदी में दर्ज पुष्पाबाई बेवा पृथ्वीलाल का देहान्त हो चुका है अतः पुष्पा बाई का नाम भी विलोपित योग्य है एवं उक्त आराजियात में वादी राधाकिशन पुत्र पृथ्वीलाल का 1/2 हिस्सा तथा स्व0 बिशनाजी के वारिसान लटूर, पार्वती, छोटीबाई का 1/2 हि0 बनता है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम सीसवाली में आराजियात खसरा नं0 3087 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3088 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 3089 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3229 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 3230 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 3235 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 3240 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 3241 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 3242 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 3243 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 3285 रकबा 0.31 है0 एवं खसरा नं0 3286 रकबा 0.22 है0 तथा खसरा नं0 5034 रकबा 1.13 है0 कुल किता 13 रकबा 3.03 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज प्रतिवादी कम 4 गिर्राज पुत्र लटूरलाल व पुष्पा बाई बेवा पृथ्वीलाल का नाम हजफ किया जाकर वादी राधाकिशन पुत्र पृथ्वीलाल का हिस्सा 1/2 तथा लटूरलाल पुत्र, पार्वती पुत्री, छोटीबाई पुत्री बिशना को सामूहिक रूप से हिस्से 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना